राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 3339 / SEIAA/2022
Date: 16/3/22

प्रति,

श्रीमती कैलाशी बाई यादव पत्नि श्री अमर सिंह यादव,
निवासी 799/2, यादव मोहल्ला,
खुजनेर, जिला राजगढ. (म.प्र.)

विषयः– प्रकरण कमांक 8958/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कैलाशी बाई यादव पत्नि श्री अमर सिंह यादव, निवासी 799/2, यादव मोहल्ला, खुजनेर, जिला राजगढ. (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 5000 घन मीटर प्रति वर्ष खसरा नं. 821/2, रकबा 1.20 हेक्टेयर, ग्राम खुजनेर, तहसील खुजनेर., जिला राजगढ़ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 709 वी बैठक दिनांक 07.03.2022 को चर्चा कर यह अभिलिखित किया गया ......

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार खनन क्षेत्र से 180 मीटर पर रोड़, 350 मीटर पर आबादी एवं खदान क्षेत्र में 04 बृक्ष होना परिलक्षित है। परियोजना प्रस्तावक के ईमेल द्वारा प्रस्तुत खनन योजना में किये गये संशोधन अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग न करते हुये रॉक ब्रेकर द्वारा उत्खनन किया जायेगा का उल्लेख किया गया है।

प्रकरण में उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा उपरांत प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाये।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन हेतु आपको सूचित किया जाता है **SEIAA** कि आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी